

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 26 / प्रा.पत्र / 2024
(GCMS No. 2024 / 32)

तारीख दायरा
30.01.2024

तारीख निर्णय
12.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

छीतर आ. माधो, जाति गूजर,
निवासी ग्राम गेण्डोली कलां, तहसील के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा
संख्या 1481 रकबा 0.69 हैक्टेयर वाकेग्राम नयागांव उर्फ बोहरा कजोड जी
की झौपडिया आवंटन आदेश दिनांक 09.01.2007 को निरस्त किये जाने हेतु
राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र
हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 26/2024 पर दर्ज रजिस्टर
किया जाकर GCMS No.2024/32 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी
दिनांक 06.4.2021 को उपस्थित न्यायालय आया था, किन्तु इसके बाद
उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


जिला कलक्टर; बून्दी



परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का आवंटन पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उमयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि छीतर आ.माधो जाति गूजर निवासी गण्डोली कलां को दिनांक 09.01.2007 को भूमि ख.सं. 1481 रकबा 0.69 हैक्टयर का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नयागांव उर्फ बोहरा कजोड जी की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1481 रकबा 0.69 हैक्टयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 12.10.2020 अनुसार भूमि खसरा सं.1481 रकबा 0.69 हैक्टयर पर अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आना भी आवंटी की उक्त आवंटन में कोई रूचि नहीं होने को प्रकट करता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी छीतर आ. माधो जाति गूजर नि. गण्डोलीकलां को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 1481 रकबा 0.68 हैक्टयर वाकेंग्राम नयागांव उर्फ बोहरा कजोड जी की झौपडिया दिनांक 09.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसेल में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी